संख्या-16/2015/643/60-1-15-1/13 (54)/07

प्रेषक,

नन्दलाल प्रसाद,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2015

विषय:- प्रदेश के 05 मण्डलों तथा 12 जनपदों में मण्डलीयजनपदीय कार्यालयों हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-179/निदे0म0क0/स्था0/निरन्तरता/विविध-21/2015-16, दिनांक 05.05.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके पत्र में उलिलखित अनुरोध के क्रम में प्रदेश के 05 मण्डलों (देवीपाटन, विन्ध्याचल, चित्रकूट धाम, सहारनपुर, बस्ती) तथा 12 जनपदों (ज्येतिबाफूले नगर, संतकबीर नगर, महामायानगर (हाथरस), श्रावस्ती, कौशाम्बी, चन्दौली, औरैया, गौतमबुद्धनगर, चित्रकूट, बागपत, कन्नौज व बलरामपुर) में मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों हेतु निम्नलिखित सृजित पदों की निरन्तरता शासनादेश दिनांक 15.07.2014 द्वारा दिनांक 28.02.2015 तक बढ़ायी गई थी, की निरन्तरता अब दिनांक 28.02.2016 तक चलते रहने की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि यदि यह पद इससे पूर्व ही बिना सूचना के समाप्त न कर दिये जायें।

05 मण्डलीय कार्यालयों हेतु-

| क्र0सं0 | पदनाम | पदों की संख्या | वेतनमान | दिनांक 01.01.06 से लागू | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वेतन बैण्ड | सादृश्य ग्रेड पे |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी | 05 | 8000-13500 | 15600-39100 | 5400 |
| 2 | आशुलिपिक ग्रेड-2 | 05 | 4000-6000 | 5200-20200 | 2400 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक | 05 | 3050-4590 | 5200-20200 | 2000 |
| 4 | वाहन चालक | 05 | 3050-4590 | 5200-20200 | 1900 |
| 5 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 05 | 2550-3200 | 4440-7440 | 1800 |
| 6 | चौकीदार सह स्वीपर | 05 | 2550-3200 | 4440-7440 | 1800 |
| | योग | 30 | | | |

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12 जनपदीय कार्यालयों हेतु-

| क्र0सं0 | पदनाम | पदों की संख्या | वेतनमान | दिनांक 01.01.06 से लागू | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वेतन बैण्ड | सादृश्य ग्रेड पे |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | जिला परिवीक्षा अधिकारी | 12 | 6500-10500 | 9300-34800 | 5400 |
| 2 | कनिष्ठ लिपिक | 12 | 3050-4590 | 5200-20200 | 2000 |
| 3 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 12 | 2550-3200 | 4440-7440 | 1800 |
| | योग | 36 | | | |

2. उक्त पदधारकों को सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

3. उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाषीर्शक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-102- बाल कल्याण-08-परिवीक्षा सेवा क्षेत्र की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या-16/2015/643(1)/60-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/संबंधित जनपद।
4- आयुक्त, संबंधित मण्डल/जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।